



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या
2/2017-2018
दिनांक : 30/12/2017

आनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : 25.01.2018

आनलाइन आवेदन SUBMIT किये जाने की अन्तिम तिथि : 30.01.2018

ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी संलग्नकों सहित आयोग कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि : 07.02.2018

“विशेष सूचना :- (क) “बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद किसी बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन 'Submit' करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित परीक्षा शुल्क से कम अथवा अधिक जमा की गयी धनराशि भी किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।” (ख) आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कालम में अपना मोबाइल नम्बर देना होगा। जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नम्बर पर आयोग द्वारा भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा दिये जायेंगे।

अभ्यर्थीगण ऑन-लाइन आवेदन करने के उपरान्त आन-लाइन आवेदन के हार्ड कापी के साथ आवेदित पद के सापेक्ष आन-लाइन आवेदन में किये गये दावों के समर्थन में समस्त शैक्षिक/वांछित अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न कर (दिनांक 07.02.2018 सायं 6:00 बजे तक) पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से अथवा स्वयं आयोग कार्यालय में जमा करना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि अनावश्यक विलम्ब एवं अवांछित परिस्थितियों से बचने के लिये आनलाइन आवेदन SUBMIT करने के तत्काल बाद आनलाइन आवेदन की हार्ड कापी समस्त संलग्नकों सहित भेजना सुनिश्चित करें। इस प्रयोजन हेतु पते की पर्ची आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर अभिलेख प्रेषित करने वाले लिफाफे पर चस्पा कर आयोग कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। आनलाइन आवेदन में किये गये किसी दावे को अभिलेखों के अभाव में स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना यह विज्ञापन आयोग की Website <http://uppsc.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु “आन-लाइन आवेदन पद्धति” (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन-लाइन आवेदन ही करें।

“आन-लाइन आवेदन” करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।

1. आयोग की <http://uppsc.up.nic.in> पर “ALL NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS” अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं-

(i) User Instructions

(ii) View Advertisement

(iii) Apply

उन समस्त विज्ञापनों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें “आनलाइन आवेदन पद्धति” लागू है। User Instruction में अभ्यर्थियों को आन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने “View Advertisement” को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ आन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample snapshots भी प्रदर्शित होंगे। आन-लाइन आवेदन हेतु 'APPLY' पर Click करें।

“आन-लाइन आवेदन” करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगा:-

प्रथम चरण - APPLY Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Candidate Registration' प्रदर्शित होगा तथा 'Candidate Registration' Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात् Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गयी सूचनाओं को भली भाँति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो 'Click here to modify' पर क्लिक करें। भरी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात् 'Submit Application' पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात् 'Print Registration Slip' प्रदर्शित होगी, जिस पर Click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें।

द्वितीय चरण- प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Click here to proceed for payment' कैप्सन के साथ 'Fees to be deposited [in INR]' प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्सन पर क्लिक करने के पश्चात् स्टेट बैंक 'MOPS (Multi Option Payment System)' का Home Page प्रदर्शित होगा। जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे।

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENTS MODS. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात् Payment Acknowledgement Receipt (PAR) प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट 'Print Payment Receipt' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें।

तृतीय चरण- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 'Proceed for final submission of application form (Part-2)' पर क्लिक करने पर फार्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनायें भरनी होंगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष (Chest) तक होनी चाहिए। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके upload नहीं

किया जाता है तो आवेदन को आन लाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गयी है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद 'PREVIEW' को Click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही-सही भरी गयी हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु 'Submit' बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही-सही निर्देशानुसार आन-लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 'Submit' बटन को Click करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा 'Submit' बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तथा इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। 'Submit' बटन को Click करने के पश्चात् आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. एक बार आवेदन 'Submit' करने के पश्चात् उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

3. आवेदन शुल्क : आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करें। श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :-

1. अनारक्षित (सामान्य) - परीक्षा शुल्क रु0 80/- आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 105/-
2. अन्य पिछड़ा वर्ग - परीक्षा शुल्क रु0 80/- आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 105/-
3. अनुसूचित जाति - परीक्षा शुल्क रु0 40/- आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 65/-
4. अनुसूचित जनजाति - परीक्षा शुल्क रु0 40/- आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 65/-
5. विकलांग श्रेणी - परीक्षा शुल्क NIL + आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 25/-
6. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी - क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
7. भूतपूर्व सैनिक - क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
8. महिला - क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

4. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के समस्त चयनों/परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

5. सबमिट किये गये आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित शुल्क के साथ अन्तिम तिथियों तक वे दूसरा आवेदन संशोधित सूचना के साथ आन लाइन प्रेषित कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी दशा में वापस नहीं किया जायेगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन submit करने की दशा में केवल उस रजिस्ट्रेशन नम्बर का आवेदन पत्र जो सबसे बाद में submit किया जायेगा, अन्तिम रूप से मान्य होगा।

अभ्यर्थियों से निम्नलिखित पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पद/पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 30प्र0

595 (पांच सौ पंचानवे) दन्त शल्यक के नवसृजित पदों हेतु चयन: पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं अस्थाई (परिवीक्षा अवधि 02 वर्ष), विभाग संख्या: सेवा-8/2, वेतनमान- रु. 56,100-1,77,500 (लेवल-10), आयुसीमा: 21 से 40 वर्ष तक (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयुसीमा में छूट), (प्रश्नगत पद हेतु पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थी पात्र होंगे।), रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण निम्नवत् है:-

कुल रिक्तियाँ	सामान्य श्रेणी	अ0पि0वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति
595	300	160	124	11

(क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत 30प्र0 की महिला अभ्यर्थियों हेतु 119 पद, 30प्र0 के पी0एच0 (केवल ओ0एल0 अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित) अभ्यर्थियों हेतु 17 पद तथा 30प्र0 के डी0एफ0एफ0 अभ्यर्थियों हेतु 11 पद आरक्षित किये गये हैं)। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0डी0एस0 (दन्त शल्यक चिकित्सा का स्नातक) की उपाधि या इण्डियन डेंटल काउन्सिल द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष अर्हता एवं डेंटल काउन्सिल 30प्र0 में पंजीयन। अधिमानी अर्हताएँ: अन्य बातों के समान होने पर सीधी-भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा- (1) जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। आवश्यक निर्देश: आन-लाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक एक वर्षीय इन्टर्नशिप पूर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी आवेदन के समय आयु, अनिवार्य अर्हता, इन्टर्नशिप, अनापत्ति प्रमाण-पत्र (यदि सरकारी सेवा में हैं तो), एवं आरक्षण सम्बन्धी दावे की पुष्टि में निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट प्रमाण-पत्र होना अवश्य सुनिश्चित कर लें। साथ ही 30प्र0 दन्त परिषद का स्थायी पंजीकरण प्रमाण-पत्र भी वांछनीय है। जिन अभ्यर्थियों के पास आवेदन के समय 30प्र0 डेंटल काउन्सिल में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र न हो,

तो उन्हें चयन की स्थिति में 45 दिन के अंदर 30प्र0 डेंटल काउन्सिल में रजिस्ट्रेशन कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

चिकित्सा शिक्षा विभाग, 30प्र0						
(i) 131 (एक सौ इकत्तीस) पद: प्रवक्ता (विभिन्न विशिष्टता), (एलोपैथी) (विज्ञापन/पुनर्विज्ञापन), पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं अस्थाई, वेतनमान- रु. 15,600=00 से 39,100=00 ग्रेड पे. 5,400/- (पुराना वेतनमान), आयुसीमा: 65 वर्ष (अधिवर्षता आयु पूर्ण होने तक), विशिष्टतावार रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण निम्नवत् है:-						
क्र0 सं0	पद/विशिष्टता का नाम	रिक्तियों की संख्या	अना-रक्षित	अनु0 जाति	अनु0 वर्ग	विभाग संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	गैस्ट्रोइन्ट्रोर्लोजी	01	01	-	-	सेवा-8/3
2	कार्डियोलोजी	06	02	02	02	सेवा-8/4
3	कार्डियक सर्जरी	03	01	01	01	सेवा-8/5
4	नेफ्रोलोजी	03	03	-	-	सेवा-8/6
5	थोरेसिक सर्जरी	01	01	-	-	सेवा-8/7
6	न्यूरो सर्जरी	01	-	01	-	सेवा-8/8
7	प्लास्टिक सर्जरी	02	02	-	-	सेवा-8/9
8	स्किन एण्ड बी0डी0	04	01	01	02	सेवा-8/10
9	रेडियोडायग्नोसिस	18	06	05	07	सेवा-8/11
10	रेडियोथेरेपी	01	-	-	01	सेवा-8/12
11	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रीहैबिलिटेशन	04	04	-	-	सेवा-8/13
12	सामान्य मेडिसिन	05	-	-	05	सेवा-8/14
13	फोरेन्सिक मेडिसिन	05	-	02	03	सेवा-8/15
14	इपीडियोलॉजिस्ट कम लेक्चरर	04	03	-	01	सेवा-8/16
15	ट्यूमर मेटाबालिज्म	03	03	-	-	सेवा-8/17
16	साइकियाट्री	02	-	01	01	सेवा-8/18
17	ब्लड बैंक	13	07	02	04	सेवा-8/19
18	फिजिसिस्ट	01	01	-	-	सेवा-8/20
19	एनेस्थीसियोलॉजी	01	-	-	01	सेवा-8/21
20	एनाटमी	मेडिकल 09, नानमेडिकल 07	-	03	06	सेवा-8/22
21	बायो-केमिस्ट्री	मेडिकल 08, नानमेडिकल -	-	04	04	सेवा-8/23
22	माइक्रो-बायोलोजी	मेडिकल 06, नानमेडिकल -	-	02	04	सेवा-8/24
23	फार्मा-कोलाजी	मेडिकल 10, नानमेडिकल 03	-	04	03	सेवा-8/25
24	फिजियो-लाजी	मेडिकल 13, नानमेडिकल 07	-	03	03	सेवा-8/26
कुल योग		131	42	36	53	

अनिवार्य अर्हताएँ:- क्र.सं.-1, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (गैस्ट्रोइन्ट्रोर्लोजी), (क) डी.एम. (गैस्ट्रोइन्ट्रोर्लोजी) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। क्र.सं.-2, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (कार्डियोलोजी), (क) डी.एम. (कार्डियोलोजी) या एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। क्र.सं.-3, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (कार्डियक सर्जरी), (क) एम.सी.एच. कार्डियक सर्जरी अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। क्र.सं.-4, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (नेफ्रोलोजी), (क) डी.एम. (नेफ्रोलोजी) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। क्र.सं.-5, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (थोरेसिक सर्जरी), (क) एम.सी.एच. (थोरेसिक सर्जरी) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। क्र.सं.-6, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (न्यूरो सर्जरी), (क) एम.सी.एच. (न्यूरो सर्जरी) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। क्र.सं.-7, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (प्लास्टिक सर्जरी), (क) एम.सी.एच. (प्लास्टिक रीकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी)/एम.सी.एच. (प्लास्टिक सर्जरी) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। क्र.सं.-8, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (स्किन एवं वी.डी.), (क) एम.डी. (स्किन एवं वी.डी.) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। क्र.सं.-9, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (रेडियोडायग्नोसिस), (क) एम.डी. (रेडियोडायग्नोसिस)/एम.डी. (रेडियोलोजी)/एम.एस. (रेडियोलोजी) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। क्र.सं.-10, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (रेडियोथेरेपी), (क) M.D. (Radio-Therapy) / M.D. (Radiology) / M.S. (Radiology) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में

तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-11, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलीटेशन), (क)** एम.डी. (पी.एम.आर.)/ एम.डी. (मेडिसिन) के साथ पी.एम.आर. में डिप्लोमा/एम.एस. (सामान्य सर्जरी)/ एम.एस. (आर्थोपेडिक्स) के साथ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलीटेशन विशिष्टता में 02 वर्ष का विशेष प्रशिक्षण (रिहैबिलीटेशन मेडिसिन) अथवा भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मान्य विषय में 02 वर्षीय समकक्ष अध्यापन अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-12, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (सामान्य मेडिसिन), (क)** एम.डी. (मेडिसिन)/एम.डी. (सामान्य मेडिसिन) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-13, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (फोरेन्सिक मेडिसिन), (क)** एम.डी. (फोरेन्सिक मेडिसिन) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-14, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (एपिडिमियोलॉजिस्ट कम लेक्चरर), (क)** एम.डी. (एस.पी.एम.)/एम.डी. (कम्युनिटी मेडिसिन) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-15, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (इयूमन मेटाबोलिज्म), (क)** M.D. (Endocrinology) or M.D. (Medicine)/ M.D. (Paed.) with two years special training in Endocrinology अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-16, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (साइकियाट्री), (क)** M.D. (Psychiatry)/M.D. (Psychological Med.)/M.D. in Medicine with Diploma in Psychological Med. अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-17, प्रवक्ता/सहायक आचार्य, ब्लैंड बैंक (इम्यूनोलॉजी, हिमैटोलॉजी तथा ब्लड ट्रान्सफ्यूजन), (क)** डी.एम. (इम्यूनोलॉजी) या एम.डी. (इम्यूनोलॉजी, हिमैटोलॉजी तथा ब्लड ट्रान्सफ्यूजन)/एम.डी. (पैथालॉजी या बैक्टीरियोलॉजी या हिमैटोलॉजी) के साथ 02 वर्ष का शैक्षिक अनुभव या इम्यूनोलॉजी, हिमैटोलॉजी तथा ब्लड ट्रान्सफ्यूजन विभाग में विशेष प्रशिक्षण अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-18, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (फिजिसिस्ट), (क)** एम.एस.सी. (भौतिक विज्ञान) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भाभा इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च सेंटर से रेडिएशन फिजिक्स में डिप्लोमा तथा संबंधित विषय में पी.एच.डी. की उपाधि अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-19, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (एनेस्थीसिया), (क)** M.D. (Anesthesiology) / M.S. (Anesthesiology) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-20, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (एनाटामी), (क)** M.S. (Anatomy) / M.D. (Anatomy)/ M.B.B.S. with M.Sc. (Anatomy)/ M.Sc. (Med. Anatomy) with Ph.D. (Med. Anatomy)/ M.Sc. (Med. Anatomy) with D.Sc. (Med. Anatomy) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-21, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (बायोकेमिस्ट्री), (क)** M.D. (Biochemistry)/ M.B.B.S. with M.Sc. (Med. Biochemistry)/ M.Sc. (Med. Biochemistry) with Ph.D. (Med. Biochemistry)/ M.Sc. (Med. Biochemistry) with D.Sc. (Med. Biochemistry) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-22, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (माइक्रोबायलोजी), (क)** M.D. (Bacteriology)/ M.D. (Microbiology) /M.B.B.S. with M.Sc. (Med. Bacteriology)/ M.Sc. (Med. Microbiology) with Ph.D. (Med. Bacteriology) /M.Sc. (Med. Bact.) with Ph.D. (Med. Bacteriology)/M.Sc. (Med. Bacteriology) with D.Sc. (Med. Bacteriology)/M.Sc. (Med. Microbiology) with Ph.D. (Med. Microbiology)/ M.Sc. (Med. Microbiology) with D.Sc. (Med. Microbiology) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-23, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (फार्माकोलाजी), (क)** M.D. (Pharmacology)/ M.B.B.S. with Ph.D. (Med. Pharmacology)/M.Sc. (Med. Pharmacology) with Ph.D. (Med. Pharmacology)/M.Sc. (Med. Pharmacology) with D.Sc. (Med. Pharmacology) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव।

रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-24, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (फिजियोलॉजी), (क)** M.D. (Physiology)/M.B.B.S. with M.Sc. (Physiology)/M.Sc. (Med. Physiology) with Ph.D. (Med. Physiology)/ M.Sc. (Med. Physiology) with D.Sc. (Med. Physiology) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **किसी प्रकार के प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी अपितु अभ्यर्थी को उसके एवज में शासनादेश के अनुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा। नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थी को जनहित में उ0प्र0 के किसी भी राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा। नोट नं0-1:-** मेडिकल संस्थान अधिनियम- 1998 के तालिका-1 में वर्णित समस्त विशिष्टताओं हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं शोध अनुभव, जो संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.07.2009, 28.10.2009 और 15.12.2009 में उल्लिखित हैं, के “शैक्षिक योग्यता” में हुये संशोधन के अनुसार निम्नवत् जोड़ा जाय:-

“डी0एन0बी0 (संबंधित विशिष्टता)”

चिकित्सा संस्थान अधिनियम- 1998 में शिक्षकों के लिए विहित न्यूनतम योग्यता में निम्नलिखित अतिरिक्त/संशोधन/विलोपन/प्रतिस्थान होंगे। धारा-4 (i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा:- मेडिकल संस्थान अधिनियम- 1998 के तालिका-1 तथा तालिका-2 में वर्णित समस्त विशिष्टताओं हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं शोध अनुभव, जो संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.07.2009, 28.10.2009, 15.12.2009 और 03.11.2010 में उल्लिखित हैं, के “शैक्षिक योग्यता” में हुये संशोधन के अनुसार निम्नवत् जोड़ा जाय:-

“डी0एन0बी0 (ब्रॉड/सुपर स्पेशलिटी)”

नोट नं0-2:- (i) एम0सी0आई0 मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से एम0डी0/एम0एस0 की उपाधि। “किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करते समय या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद रेजीडेंट/रजिस्ट्रार/डिमोन्स्ट्रेटर/ट्यूटर के रूप में संबंधित विषय में 3 वर्ष का शैक्षिक अनुभव”। **(ii)** एम0सी0आई0 मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों/केन्द्रीय संस्थानों से डी0एन0बी0 योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जहाँ कोई एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम नहीं चल रहे हैं:- “डी0एन0बी0 उपाधि प्राप्त करते समय या डी0एन0बी0 अर्हता धारित करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में संबंधित विषय में 03 वर्ष का शैक्षिक अनुभव धारित करने के साथ ही संबंधित अभ्यर्थी को डी0एन0बी0 अर्हता धारित करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से संबंधित विषय में एक वर्ष के अतिरिक्त शैक्षिक/शोध अनुभव की आवश्यकता होगी”। **(iii)** एम0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों/केन्द्रीय संस्थानों से डी0एन0बी0 अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जहाँ एम0डी0/एम0एस0 कोर्स चल रहे हैं:- डी0एन0बी0 उपाधि प्राप्त करते समय या डी0एन0बी0 अर्हता धारित करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में संबंधित विषय में 03 वर्ष का शैक्षिक अनुभव। **(iv)** एम0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों/केन्द्रीय संस्थानों के अलावा अन्य केन्द्रों से डी0एन0बी0 योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में:- “डी0एन0बी0 उपाधि प्राप्त करते समय या डी0एन0बी0 अर्हता धारित करने के बाद संबंधित विषय में 03 वर्ष के शैक्षिक अनुभव के साथ ही संबंधित अभ्यर्थी को एम0सी0आई0 मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/केन्द्रीय संस्थान में सीनियर रेजीडेंट/रिसर्च एसोसिएट (सी0एस0आई0आर0) के रूप में 02 वर्ष के अतिरिक्त शैक्षिक अनुभव की आवश्यकता होगी”। एम0सी0आई0 के अलावा अन्य केन्द्रों से डी0एन0बी0 योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए संबंधित अभ्यर्थियों को इन्डेक्स जर्नल में (राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रथम/द्वितीय लेखक के रूप में) कम से कम 02 प्रकाशन (स्वीकार/प्रकाशित) होना चाहिए। किसी मामले में यदि संबंधित अभ्यर्थी के पास आवश्यक प्रकाशन नहीं है तो उसे डी0एन0बी0 योग्यता रखने के बाद मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों/केन्द्रीय संस्थानों में कुल 03 वर्ष का शैक्षिक अनुभव होना आवश्यक है।

नोट नं0-3:- (i) एम0सी0आई0 मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से एम0डी0/एम0एस0 उपाधि धारित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए:- “किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर उपाधि के समय या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद संबंधित विषय में रेजीडेंट/रजिस्ट्रार/डिमोन्स्ट्रेटर/ट्यूटर के रूप में 3 वर्ष का शैक्षिक अनुभव। **(ii)** डी0एन0बी0 ब्रॉड स्पेशलिटी के साथ एम0डी0/एम0एस0 तथा डी0एन0बी0 (सुपर स्पेशलिटी) के साथ डी0एम0/एम0सी0एच0 की समकक्षता के संबंध में:- **(क)** जिन अभ्यर्थियों ने डी0एन0बी0 प्रशिक्षण किसी संस्थान से प्राप्त किया है तथा वहाँ एम0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चल रहे हैं, उनकी डी0एन0बी0 अर्हता एम0सी0आई0 की मान्यता के समान माना जायेगा। **(ख)** जिन अभ्यर्थियों ने डी0एन0बी0 प्रशिक्षण कम से कम 500 बिस्तारों वाले मल्टी स्पेशलिटी शैक्षिक अस्पताल से किया हो तथा वह संस्थान विभिन्न स्नातकोत्तर/सुपर स्पेशलिटी शिक्षण कार्यक्रमों में शामिल हो, जिसमें 03 में कम से कम एक डी0एन0बी0 पर्यवेक्षक (अध्यापक) अर्ह होंगे जो एम0सी0आई0 मानकों के अनुसार स्नातकोत्तर अर्हता धारित किये हों तथा शेष बचे हुये 02 में से एक को स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में एम0सी0आई0 के अनुसार निम्नवत् अर्हता धारित करनी चाहिए:-

स्नातकोत्तर ब्रॉड स्पेशलिटी को {30 बेड प्रति यूनिट} 50% बेड स्नातकोत्तर सुपर स्पेशलिटी को {20 बेड प्रति यूनिट} अध्यापन हेतु उक्त योग्यतायें एम0सी0आई0 मान्यता प्राप्त अर्हता के समकक्ष होंगी। **(iii)** डी0एम0/एम0सी0एच0 के साथ एम0डी0/एम0एस0 और डी0एन0बी0 (सुपर स्पेशलिटी) के साथ डी0एन0बी0 (ब्रॉड स्पेशलिटी) की योग्यता के लिए एक वर्ष का अतिरिक्त प्रशिक्षण। जिन अभ्यर्थियों ने उपर्युक्त **(ii)** में उल्लिखित अन्य अस्पताल/संस्थान में डी0एन0बी0 प्रशिक्षण (दोनों ब्रॉड स्पेशलिटी/सुपर स्पेशलिटी) प्राप्त किये हैं वे एक वर्ष अतिरिक्त सीनियर रेजीडेंट या समकक्ष प्रशिक्षण या शोध कार्य से एम0सी0आई0 मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्थान से अर्हता धारित किया हो बशर्ते कि ऐसी अर्हता स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा अधिनियम 2000 में अधिसूचित की गयी हो। परामर्शदाता या विशेषज्ञ (विषय में स्नातकोत्तर डिग्री

रखने के बाद) न्यूनतम 300 बिस्तारों वाले ई0एस0आई0 अस्पतालों में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करने के लिए अपेक्षित अनुभव न्यूनतम 06 वर्ष होगा। उन्हें मेडिकल कॉलेज में शामिल होने के बाद इस तरह के सलाहकार या विशेषज्ञ को सहायक आचार्य के रूप में माना जायेगा। **नोट नं0-4:-** विभिन्न ब्रॉड/सुपर स्पेशलिटी संबंधी विशिष्टताओं में विहित अनिवार्य अर्हतायें शासन के पत्र संख्या- 2842/71-1-2017-जी0-227/2010, दिनांक 12.09.2017 में संलग्न एम0सी0आई0 रेग्युलेशन 08 जून, 2017 के अनुसार उल्लिखित की गयी हैं। **अन्य सामान्य नोट:-** (1) क्र.सं.- 20, 21, 22, 23 एवं 24 पर उल्लिखित प्रवक्ता- एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायलोजी, फार्माकोलाजी तथा फिजियोलॉजी पद हेतु नान मेडिकल के पदों के लिए सम्बन्धित विषय में मेडिकल एम.एस.सी. अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। (2) बैलेंज आरक्षण नियमानुसार अनुमन्य होगा। विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के पद उपलब्ध होने पर O.L. (One Leg Affected Right or Left) एवं P.B. (Partially Blind) श्रेणी के अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। (3) अनिवार्य अर्हता की मान्यता एम0सी0आई0 होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा। (4) क्रमांक- 14 की विशिष्टता के पद अग्रेनीत पद नहीं हैं। (5) सीनियर रेजीडेंट पद का अनुभव अभ्यर्थी द्वारा 40 वर्ष की आयु तक पूर्ण करना अनिवार्य है।

(ii) 29 (उत्तीस) पद: प्रवक्ता (विभिन्न विशिष्टता), (एलोपैथी/बैकलाग/पुनर्विज्ञापन), पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं अस्थाई। **आरक्षण-** आरक्षित, **वेतनमान-** रु. 15,600=00 से 39,100=00 ग्रेड पे. 5,400/- (पुराना वेतनमान), **आयुसीमा:** 65 वर्ष (अधिर्वषता आयु पूर्ण होने तक।) **विशिष्टतावार रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण निम्नवत् है:-**

क्र0 सं0	पद/विशिष्टता का नाम प्रवक्ता/सहायक आचार्य	रिक्तियों की संख्या	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अ0पि0 वर्ग	विभाग संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी	02	01	-	01	सेवा-8/27
2	कार्डियोलॉजी	05	02	-	03	सेवा-8/28
3	नेफ्रोलॉजी	01	01	-	-	सेवा-8/29
4	थोरेसिक सर्जरी	01	-	-	01	सेवा-8/30
5	न्यूरोलॉजी	01	01	-	-	सेवा-8/31
6	प्लास्टिक सर्जरी	01	-	-	01	सेवा-8/32
7	रेडियोडायग्नोसिस	05	03	-	02	सेवा-8/33
8	सामान्य मेडिसिन	01	-	01	-	सेवा-8/34
9	एनेस्थीसियोलॉजी	01	-	01	-	सेवा-8/35
10	सामान्य सर्जरी	01	-	01	-	सेवा-8/36
11	एस0पी0एम0 कम्युनिटी मेडिसिन	03	-	-	03	सेवा-8/37
12	फिजिसिस्ट	01	01	-	-	सेवा-8/38
13	बायोकेमिस्ट्री-मेडिकल	06	03	-	03	सेवा-8/39
	कुल योग	29	12	03	14	

अनिवार्य अर्हताएं:- क्र.सं.-1, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी), (क) डी.एम. (गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **क्र.सं.-2, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (कार्डियोलॉजी), (क)** डी.एम. (कार्डियोलॉजी) या एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **क्र.सं.-3, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (नेफ्रोलॉजी), (क)** डी.एम. (नेफ्रोलॉजी) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **क्र.सं.-4, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (थोरेसिक सर्जरी), (क)** एम.सी.एच. (थोरेन्सिक सर्जरी) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **क्र.सं.-5, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (न्यूरोलॉजी), (क)** एम.डी. (मेडिसिन) के साथ डी.एम. (न्यूरोलॉजी) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **क्र.सं.-6, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (प्लास्टिक सर्जरी), (क)** एम.सी.एच. (प्लास्टिक रीकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी)/एम.सी.एच. (प्लास्टिक सर्जरी) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **क्र.सं.-7, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (रेडियोडायग्नोसिस), (क)** एम.डी. (रेडियोडायग्नोसिस)/एम.डी. (रेडियोलॉजी) /एम.एस. (रेडियोलॉजी) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-8, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (सामान्य मेडिसिन), (क)** एम.डी. (मेडिसिन)/ एम.डी. (सामान्य मेडिसिन) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-9, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (एनेस्थीसियोलॉजी), (क)** M.D. (Anesthesiology) / M.S. (Anesth-esiology) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-10, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (सामान्य सर्जरी), (क)** एम.एस. (सर्जरी)/एम.एस. (सामान्य सर्जरी) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-11, प्रवक्ता/सहायक आचार्य एस0पी0एम0 (कम्युनिटी मेडिसिन), (क)** एम.डी. (सोशल एण्ड प्रिवेन्टिव मेडिसिन/कम्युनिटी मेडिसिन) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-12, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (फिजिसिस्ट), (क)** एम.एस.सी., (भौतिक विज्ञान) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भाभा इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च सेंटर से रेडिएशन फिजिक्स में डिप्लोमा तथा संबंधित विषय में पी0एचडी0 की उपाधि अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव।

संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-13, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (बायोकेमिस्ट्री), (क)** M.D. (Biochemistry)/ M.B.B.S. with M.Sc. (Med. Biochemistry) /M.Sc. (Med. Biochemistry) with Ph.D. (Med. Biochemistry) / M.Sc (Med. Biochemistry) with D.Sc. (Med. Biochemistry) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेन्ट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **किसी प्रकार के प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी अपितु अभ्यर्थी को उसके एवज में शासनादेश के अनुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा। नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थी को जनहित में 30प्र0 के किसी भी राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।** नोट नं0-1:- मेडिकल संस्थान अधिनियम- 1998 के तालिका-1 में वर्णित समस्त विशिष्टताओं हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं शोध अनुभव, जो संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.07.2009, 28.10.2009 और 15.12.2009 में उल्लिखित है, के “शैक्षिक योग्यता” में हुये संशोधन के अनुसार निम्नवत् जोड़ा जाय:-

“डी0एन0बी0 (संबंधित विशिष्टता)”

चिकित्सा संस्थान अधिनियम- 1998 में शिक्षकों के लिए विहित न्यूनतम योग्यता में निम्नलिखित अतिरिक्त/संशोधनो/विलोपन/प्रतिस्थान होंगे। धारा-4 (I) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा:- मेडिकल संस्थान अधिनियम- 1998 के तालिका-1 तथा तालिका-2 में वर्णित समस्त विशिष्टताओं हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं शोध अनुभव, जो संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.07.2009, 28.10.2009, 15.12.2009 और 03.11.2010 में उल्लिखित है, के “शैक्षिक योग्यता” में हुये संशोधन के अनुसार निम्नवत् जोड़ा जाय:-

“डी0एन0बी0 (ब्रॉड/सुपर स्पेशलिटी)”

नोट नं0-2:- (i) एम0सी0आई0 मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से एम0डी0/एम0एस0 की उपाधि। “किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करते समय या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमोन्स्ट्रेटर/ट्यूटर के रूप में संबंधित विषय में 3 वर्ष का शैक्षिक अनुभव।**(ii)** एम0सी0आई0 मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों/केन्द्रीय संस्थानों से डी0एन0बी0 योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जहाँ कोई एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम नहीं चल रहे हैं:- “डी0एन0बी0 उपाधि प्राप्त करते समय या डी0एन0बी0 अर्हता धारित करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में संबंधित विषय में 03 वर्ष का शैक्षिक अनुभव धारित करने के साथ ही संबंधित अभ्यर्थी को डी0एन0बी0 अर्हता धारित करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से संबंधित विषय में एक वर्ष के अतिरिक्त शैक्षिक/शोध अनुभव की आवश्यकता होगी”। **(iii)** एम0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों/केन्द्रीय संस्थानों से डी0एन0बी0 अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जहाँ एम0डी0/एम0एस0 कोर्स चल रहे हैं:- डी0एन0बी0 उपाधि प्राप्त करते समय या डी0एन0बी0 अर्हता धारित करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में संबंधित विषय में 03 वर्ष का शैक्षिक अनुभव। **(iv)** एम0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों/केन्द्रीय संस्थानों के अलावा अन्य केन्द्रों से डी0एन0बी0 योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में:- “डी0एन0बी0 उपाधि प्राप्त करते समय या डी0एन0बी0 अर्हता धारित करने के बाद संबंधित विषय में 03 वर्ष के शैक्षिक अनुभव के साथ ही संबंधित अभ्यर्थी को एम0सी0आई0 मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/केन्द्रीय संस्थान में सीनियर रेजीडेन्ट/रिसर्च एसोसिएट (सी0एस0आई0आर0) के रूप में 02 वर्ष के अतिरिक्त शैक्षिक अनुभव की आवश्यकता होगी। एम0सी0आई0 के अलावा अन्य केन्द्रों से डी0एन0बी0 योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए संबंधित अभ्यर्थियों को इन्डेक्स जर्नल में (राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रथम/द्वितीय लेखक के रूप में) कम से कम 02 प्रकाशन (स्वीकार/प्रकाशित) होना चाहिए। किसी मामले में यदि संबंधित अभ्यर्थी के पास आवश्यक प्रकाशन नहीं है तो उसे डी0एन0बी0 योग्यता रखने के बाद मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों/केन्द्रीय संस्थानों में कुल 03 वर्ष का शैक्षिक अनुभव होना आवश्यक है। **नोट नं0-3:- (i)** एम0सी0आई0 मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से एम0डी0/एम0एस0 उपाधि धारित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए:- “किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर उपाधि के समय या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद संबंधित विषय में रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमोन्स्ट्रेटर/ट्यूटर के रूप में 3 वर्ष का शैक्षिक अनुभव”। **(ii)** डी0एन0बी0 ब्रॉड स्पेशलिटी के साथ एम0डी0/एम0एस0 तथा डी0एन0बी0 (सुपर स्पेशलिटी) के साथ डी0एम0/एम0सी0एच0 की समकक्षता के संबंध में:- **(क)** जिन अभ्यर्थियों ने डी0एन0बी0 प्रशिक्षण किसी संस्थान से प्राप्त किया है तथा वहाँ एम0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चल रहे हैं, उनकी डी0एन0बी0 अर्हता एम0सी0आई0 की मान्यता के समान माना जायेगा। **(ख)** जिन अभ्यर्थियों ने डी0एन0बी0 प्रशिक्षण कम से कम 500 बिस्तरों वाले मल्टी स्पेशलिटी शैक्षिक अस्पताल से किया हो तथा वह संस्थान विभिन्न स्नातकोत्तर/सुपर स्पेशलिटी शिक्षण कार्यक्रमों में शामिल हो, जिसमें 03 में कम से कम एक डी0एन0बी0 पर्यवेक्षक (अध्यापक) अर्ह होंगे जो एम0सी0आई0 मानकों के अनुसार स्नातकोत्तर अर्हता धारित किये हों तथा शेष बचे हुये 02 में से एक को स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में एम0सी0आई0 के अनुसार निम्नवत् अर्हता धारित करनी चाहिए:-

स्नातकोत्तर ब्रॉड स्पेशलिटी को {30 बेड प्रति यूनिट} 50% बेड स्नातकोत्तर सुपर स्पेशलिटी को {20 बेड प्रति यूनिट} अध्यापन हेतु उक्त योग्यतायें एम0सी0आई0 मान्यता प्राप्त अर्हता के समकक्ष होंगी। **(iii)** डी0एम0/एम0सी0एच0 के साथ एम0डी0/एम0एस0 और डी0एन0बी0 (सुपर स्पेशलिटी) के साथ डी0एन0बी0 (ब्रॉड स्पेशलिटी) की योग्यता के लिए एक वर्ष का अतिरिक्त प्रशिक्षण। जिन अभ्यर्थियों ने उपर्युक्त **(ii)** में उल्लिखित अन्य अस्पताल/संस्थान में डी0एन0बी0 प्रशिक्षण (दोनों ब्रॉड स्पेशलिटी/सुपर स्पेशलिटी) प्राप्त किये हैं वे एक वर्ष अतिरिक्त सीनियर रेजीडेन्ट या समकक्ष प्रशिक्षण या शोध कार्य से एम0सी0आई0 मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्थान से अर्हता धारित किया हो बशर्ते कि ऐसी अर्हता स्नातकोत्तर चिकित्सा

शिक्षा अधिनियम 2000 में अधिसूचित की गयी हो। परामर्शदाता या विशेषज्ञ (विषय में स्नातकोत्तर डिग्री रखने के बाद) न्यूनतम 300 बिस्तरों वाले ई0एस0आई0 अस्पतालों में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करने के लिए अपेक्षित अनुभव न्यूनतम 06 वर्ष होगा। उन्हें मेडिकल कॉलेज में शामिल होने के बाद इस तरह के सलाहकार या विशेषज्ञ को सहायक आचार्य के रूप में माना जायेगा। **नोट नं0-4:-** विभिन्न ब्रॉड/सुपर स्पेशलिटी संबंधी विशिष्टताओं में विहित अनिवार्य अर्हतायें शासन के पत्र संख्या- 2842/71-1-2017-जी0-227/2010, दिनांक 12.09.2017 में संलग्न एम0सी0आई0 रेग्युलेशन 08 जून, 2017 के अनुसार उल्लिखित की गयी हैं। **नोट:- (1) क्र.सं.- 14 पर उल्लिखित प्रवक्ता- बायोकेमिस्ट्री पद हेतु नान मेडिकल पदों के लिए सम्बन्धित विषय में मेडिकल एम.एस.सी. अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। (2) क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार अनुमन्य होगा। विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के पद उपलब्ध होने पर O.L. (One Leg Affected Right or Left) एवं P.B. (Partially Blind) श्रेणी के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। (3) अनिवार्य अर्हता की मान्यता एम0सी0आई0 होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा। (4) सीनियर रेजीडेन्ट पद का अनुभव अभ्यर्थी द्वारा 40 वर्ष की आयु तक पूर्ण करना अनिवार्य है।**

(iii) 265 (दो सौ पैंसठ) पद: प्रवक्ता (विभिन्न विशिष्टता) (एलोपैथी) (विज्ञापन) (सामान्य चयन), पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं अस्थाई, वेतनमान- रु. 15,600=00 से 39,100=00 ग्रेड पे 6000/-, आयुसीमा: 65 वर्ष (अधिवर्षता आयु पूर्ण होने तक।), विशिष्टतावार रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	पद/विशिष्टता का नाम प्रवक्ता/सहायक आचार्य		रिक्तियों की संख्या	अना-रक्षित	अनु० जाति	अ०पि० वर्ग	विभाग संख्या	
1	2		3	4	5	6	7	
1	न्यूरो सर्जरी		02	02	-	-	सेवा-8/40	
2	डरमेटोलॉजी (स्किन एण्ड बी०डी०)		09	06	01	02	सेवा-8/41	
3	रेडियोडायग्नोसिस		09	06	01	02	सेवा-8/42	
4	रेडियोथिरेपी		06	04	01	01	सेवा-8/43	
5	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैब्लीटेशन		02	02	-	-	सेवा-8/44	
6	सामान्य मेडिसिन		23	13	04	06	सेवा-8/45	
7	फोरेन्सिक मेडिसिन		04	03	-	01	सेवा-8/46	
8	इपीडियोलॉजिस्ट कम लेक्चरर		01	01	-	-	सेवा-8/47	
9	साइक्रियाट्री		09	06	01	02	सेवा-8/48	
10	ब्लड बैंक		02	02	-	-	सेवा-8/49	
11	एनेस्थीसियोलॉजी		26	14	05	07	सेवा-8/50	
12	पैथालॉजी		15	08	03	04	सेवा-8/51	
13	कम्युनिटी मेडिसिन		16	09	03	04	सेवा-8/52	
14	पीडियाट्रिक्स		19	11	03	05	सेवा-8/53	
15	टी०बी० एण्ड चेस्ट		06	04	01	01	सेवा-8/54	
16	सामान्य सर्जरी		21	12	04	05	सेवा-8/55	
17	आर्थोपेडिक्स		14	09	02	03	सेवा-8/56	
18	ई०एन०टी० (आटो-राइनो-लाइरिंगोलॉजी)		08	05	01	02	सेवा-8/57	
19	आपथलमोलॉजी		06	04	01	01	सेवा-8/58	
20	आब्स. एण्ड गायनी.		15	08	03	04	सेवा-8/59	
21	डेंटिस्ट्री		09	06	01	02	सेवा-8/60	
22	ट्रान्सप्लूजन मेडिसिन		07	05	01	01	सेवा-8/61	
23	इमरजेन्सी मेडिसिन		03	03	-	-	सेवा-8/62	
24	एम०ओ०एच० कम प्रवक्ता- (RHTC)		05	05	00	00	सेवा-8/63	
25	एम०ओ०एच० कम प्रवक्ता- (UHTC)		05	05	00	00	सेवा-8/64	
26	एनाटमी	मेडिकल	04	03	02	-	01	सेवा-8/65
		नानमेडिकल		01	01	-	-	
27	बायो-केमिस्ट्री	मेडिकल	03	03	03	-	-	सेवा-8/66
		नानमेडिकल		-	-	-	-	
28	माइक्रो-बायोलॉजी	मेडिकल	06	05	03	01	01	सेवा-8/67
		नानमेडिकल		01	01	-	-	
29	फार्मा-कोलाजी	मेडिकल	07	05	03	01	01	सेवा-8/68
		नानमेडिकल		02	02	-	-	
30	फिजियो-लाजी	मेडिकल	03	03	03	-	-	सेवा-8/69
		नानमेडिकल		-	-	-	-	
कुल योग			265	171	38	56		

अनिवार्य अर्हताएं:- क्र.सं.-1, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (न्यूरो सर्जरी), (क) एम.सी.एच. (न्यूरो सर्जरी) अथवा एम.सी. आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हता। **क्र.सं.-2, प्रवक्ता/सहायक आचार्य, डरमेटोलॉजी (स्किन एवं वी.डी.), (क)** एम.डी. (डरमेटोलॉजी एण्ड वेनरियोलॉजी)/एम.डी. (डरमेटोलॉजी वेनरियोलॉजी एण्ड लेप्रोसी.)/एम.डी. (डरमेटोलॉजी)/एम.डी. (डरमेटोलॉजी इन्क्ल्यूडिंग वेनरियोलॉजी)/एम.डी. (डरमेटोलॉजी इन्क्ल्यूडिंग वेनरियोलॉजी/लेप्रोसी.) एम.डी. (मेडिसिन) विद डी0वी0डी0 या डी0डी0 अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेन्ट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-3, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (रेडियोडायग्नोसिस), (क)** एम.डी. (रेडियोडायग्नोसिस)/एम.डी.

(रेडियोलॉजी)/एम.एस. (रेडियोलॉजी) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेन्ट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-4, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (रेडियोथिरेपी), (क)** M.D. (Radio-Therapy)/M.D. (Radiology)/M.S. (Radiology) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेन्ट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-5, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन), (क)** एम.डी. (पी.एम.आर.)/एम.डी. (मेडिसिन) के साथ पी.एम.आर. में डिप्लोमा/एम.एस. (सामान्य सर्जरी)/एम.एस. (आर्थोपेडिक्स) के साथ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन विशिष्टता में 02 वर्ष का विशेष प्रशिक्षण (रिहैबिलिटेशन मेडिसिन) या 02 वर्ष का समकक्षीय प्रशिक्षण जो भारत में किसी मान्यता प्राप्त विषय/संस्था से हो अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेन्ट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-6, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (सामान्य मेडिसिन), (क)** एम.डी. (मेडिसिन)/एम.डी. (सामान्य मेडिसिन) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेन्ट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-7, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (फोरेन्सिक मेडिसिन), (क)** एम.डी. (फोरेन्सिक मेडिसिन) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेन्ट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-8, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (एपिडिमियोलॉजिस्ट कम प्र0), (क)** एम.डी. (एस.पी.एम.)/एम.डी. (कम्युनिटी मेडिसिन) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेन्ट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-9, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (साइकियाट्री), (क)** M.D. (Psychiatry)/ M.D. (Psychological Med.)/ M.D. in Medicine with Diploma in Psychological Med. अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेन्ट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-10, प्रवक्ता/सहायक आचार्य, ब्लड बैंक (इम्युनोलॉजी, हिमेटोलॉजी तथा ब्लड ट्रान्सफ्यूजन), (क)** डी.एम. (इम्युनोलॉजी) या एम.डी. (इम्युनोलॉजी, हिमेटोलॉजी तथा ब्लड ट्रान्सफ्यूजन)/एम.डी. (पैथालॉजी या बैक्टीरियोलॉजी या हिमेटोलॉजी) के साथ 02 वर्ष का शैक्षिक अनुभव या इम्युनोलॉजी, हिमेटोलॉजी तथा ब्लड ट्रान्सफ्यूजन विभाग में विशेष प्रशिक्षण अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेन्ट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-11, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (एनेस्थीसियोलॉजी), (क)** M.D. (Anesthesiology)/ M.S. (Anesthesiology) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेन्ट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-12, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (पैथालॉजी), (क)** एम0डी0 (पैथालॉजी)/पी0एच0डी0 (पैथालॉजी)/डी0एससी0 (पैथालॉजी) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेन्ट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-13, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (कम्युनिटी मेडिसिन), (क)** एम0डी0 (एस0पी0एम0)/एम0डी0 (कम्युनिटी मेडिसिन) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेन्ट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-14, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (पीडियाट्रिक्स), (क)** एम0डी0 (पीडियाट्रिक्स) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेन्ट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-15, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (टी0बी0 एण्ड चेस्ट), (क)** एम0डी0 (टी0बी0)/ एम0डी0 (टी0बी0 एण्ड रेस्प्रेटरी डिजीज)/एम0डी0 (मेडिसिन) विद टी0डी0डी0, डी0टी0डी0 या डी0टी0सी0डी0 /एम0डी0 (टी0बी0 एण्ड चेस्ट डिजीज) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेन्ट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-16, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (सामान्य सर्जरी), (क)** एम0एस0 (सर्जरी)/ एम0एस0 (सामान्य सर्जरी) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेन्ट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-17, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (आर्थोपेडिक्स), (क)** एम0एस0 (आर्थोपेडिक्स) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेन्ट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव।

क्र.सं.-18, प्रवक्ता/सहायक आचार्य, ई0एन0टी0 (आटो-राइनो-लाइरिंगोलॉजी), (क) एम0एस0 (आटो-राइनो-लाइरिंगोलॉजी) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं।**(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-19, प्रवक्ता/सहायक आचार्य, (आपथलमोलॉजी), (क)** एम0एस0 (आपथलमोलॉजी)/एम0डी0 (आपथलमोलॉजी) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं।**(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-20, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (आब्स. एवं गायनी.), (क)** एम0एस0 (आब्स. एवं गायनी.)/एम0डी0 (आब्स. एवं गायनी.) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं।**(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-21, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (डेंटिस्ट्री), (क)** संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त परास्नातक डिग्री (एम0डी0एस0) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं।**(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-22, प्रवक्ता/सहायक आचार्य, ट्रान्सप्यूजन मेडिसिन, (क)** डी.एम. (इम्यूनोलॉजी) या एम.डी. (इम्यूनो-हिमैटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रान्सप्यूजन)/एम0डी0 (पैथालॉजी या बैक्टीरियोलॉजी या हिमैटोलॉजी) विद 2 इयर टीचिंग एक्सपीरियन्स या स्पेशल ट्रेनिंग इन दी डिपार्टमेंट आफ इम्यूनो-हिमैटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रान्सप्यूजन अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं।**(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-23, प्रवक्ता/सहायक आचार्य, इमरजेन्सी मेडिसिन, (क)** एम.डी. (मेडिसिन)/एम0एस0 (सामान्य सर्जरी)/एम0डी0 (रेसाइरेटरी मेडिसिन)/एम0डी0 (एनेस्थीसिया)/एम0एस0 (आर्थोपेडिक्स) तथा इमरजेन्सी में 02 वर्षीय प्रशिक्षण अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं।**(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-24, प्रवक्ता/सहायक आचार्य एम0ओ0एच0 कम प्रवक्ता-(RHTC), (क)** एम0डी0 (एस0पी0एम0)/एम0डी0 (कम्युनिटी मेडिसिन) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं।**(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-25, प्रवक्ता/सहायक आचार्य एम0ओ0एच0 कम प्रवक्ता-(UHTC), (क)** एम0डी0 (एस0पी0एम0)/एम0डी0 (कम्युनिटी मेडिसिन) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं।**(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-26, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (एनाटामी), (क)** M.S (Anatomy)/M.D. (Anatomy)/ M.B.B.S. with M.Sc. (Anatomy)/ M.Sc. (Med. Anatomy) with Ph.D. (Med. Anatomy)/M.Sc. (Med. Anatomy) with D.Sc. (Med. Anatomy) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं।**(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-27, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (बायोकेमिस्ट्री), (क)** M.D. (Biochemistry) /M.B.B.S. with M.Sc. (Med. Biochemistry)/ M.Sc.(Med. Biochemistry) with Ph.D. (Med. Biochemistry)/ M.Sc.(Med. Biochemistry) with D.Sc. (Med. Biochemistry) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं।**(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-28, प्रवक्ता/ सहायक आचार्य (माइक्रोबायलोजी), (क)** M.D. (Bacteriology)/M.D. (Microbiology)/ M.B.B.S. with M.Sc. (Med. Bacteriology)/ M.Sc. (Med. Microbiology) with Ph.D. (Med. Bacteriology) / M.Sc. (Med. Bact.) with Ph.D. (Med. Bacteriology)/M.Sc. (Med. Bacteriology) with D.Sc. (Med. Bacteriology)/ M.Sc. (Med. Microbiology) with Ph.D. (Med. Microbiology)/ M.Sc. (Med. Microbiology) with D.Sc. (Med. Microbiology) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं।**(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-29, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (फार्माकोलाजी), (क)** M.D. (Pharmacology)/M.B.B.S. with Ph.D. (Med. Pharmacology)/ M.Sc. (Med. Pharmacology) with Ph.D. (Med. Pharmacology) /M.Sc. (Med. Pharmacology) with D.Sc. (Med. Pharmacology) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं।**(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **क्र.सं.-30, प्रवक्ता/सहायक आचार्य (फिजियोलॉजी), (क)** M.D. (Physiology)/M.B.B.S. with M.Sc. (Physiology)/ M.Sc. (Med. Physiology) with Ph.D. (Med. Physiology)/ M.Sc. (Med. Physiology) with D.Sc. (Med. Physiology) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं।**(ख)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय

से संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेंट के रूप में तीन वर्ष के अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेंट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। **किसी प्रकार के प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी अपितु अभ्यर्थी को उनसे एवज में शासनादेश के अनुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा। नियुक्ति किए जाने वाले अभ्यर्थी को जनहित में 30प्र0 के किसी भी राजकीय मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।** नोट नं.-1 :- मेडिकल संस्थान अधिनियम-1998 के तालिका-1 में वर्णित समस्त विशिष्टताओं हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं शोध अनुभव, जो संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.07.2009, 28.10.2009 और 15.12.2009 में उल्लिखित हैं, के “शैक्षिक योग्यता” में हुये संशोधन के अनुसार निम्नवत् जोड़ा जाय :-

“**डी.एन.बी.(संबंधित विशिष्टता)”**

चिकित्सा संस्थान अधिनियम-1998 में शिक्षकों के लिए विहित न्यूनतम योग्यता में निम्नलिखित अतिरिक्त/संशोधनों/विलोपन/प्रतिस्थान होंगे।

धारा-4 (i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

मेडिकल संस्थान अधिनियम-1998 के तालिका-1 तथा तालिका-2 में वर्णित समस्त विशिष्टताओं हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं शोध अनुभव, जो संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.07.2009, 28.10.2009, 15.12.2009 और 03.11.2010 में उल्लिखित हैं, के “शैक्षिक योग्यता” में हुये संशोधन के अनुसार निम्नवत् जोड़ा जाय :-

“**डी.एन.बी.(ब्राड/सुपर स्पेशलिटी)”**

नोट नं.-2 :- (i) एम.सी.आई. मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज से एम.डी./एम.एस. की उपाधि। “किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करते समय या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद रेजीडेंट/रजिस्ट्रार/डिमोन्स्ट्रेटर/ट्यूटर के रूप में संबंधित विषय में 3 वर्ष का शैक्षिक अनुभव। (ii) एम0सी0आई0 मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों/केन्द्रीय संस्थानों से डी0एन0बी0 योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जहाँ कोई एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम नहीं चल रहे हैं :- “डी0एन0बी0 उपाधि प्राप्त करते समय या डी0एन0बी0 अर्हता धारित करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में संबंधित विषय में 03 वर्ष का शैक्षिक अनुभव धारित करने के साथ ही संबंधित अभ्यर्थी को डी0एन0बी0 अर्हता धारित करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज से संबंधित विषय में एक वर्ष के अतिरिक्त शैक्षिक/शोध अनुभव की आवश्यकता होगी। (iii) एम0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों/केन्द्रीय संस्थानों से डी0एन0बी0 अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जहाँ एम0डी0/एम0एस0 कोर्स चल रहे हैं :- डी0एन0बी0 उपाधि प्राप्त करते समय या डी0एन0बी0 अर्हता धारित करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में संबंधित विषय में 03 वर्ष का शैक्षिक अनुभव। (iv) एम0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों/केन्द्रीय संस्थानों के अलावा अन्य केन्द्रों से डी0एन0बी0 योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में :- “डी0एन0बी0 उपाधि प्राप्त करते समय या डी0एन0बी0 अर्हता धारित करने के बाद संबंधित विषय में 03 वर्ष के शैक्षिक अनुभव के साथ ही संबंधित अभ्यर्थी को एम0सी0आई0 मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/केन्द्रीय संस्थान में सीनियर रेजीडेंट/रिसर्च एसोसिएट (सी0एस0आई0आर0) के रूप में 02 वर्ष के अतिरिक्त शैक्षिक अनुभव की आवश्यकता होगी। एम0सी0आई0 के अलावा अन्य केन्द्रों से डी0एन0बी0 योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए संबंधित अभ्यर्थियों को इन्डेक्स जर्नल में (राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रथम/द्वितीय लेखक के रूप में) कम से कम 02 प्रकाशन (स्वीकार/प्रकाशित) होना चाहिए। किसी मामले में यदि संबंधित अभ्यर्थी के पास आवश्यक प्रकाशन नहीं है तो उसे डी0एन0बी0 योग्यता रखने के बाद मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों/केन्द्रीय संस्थानों में कुल 03 वर्ष का शैक्षिक अनुभव होना आवश्यक है। **नोट नं.-3:- (i)** एम0सी0आई0 मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज से एम0डी0/एम0एस0 उपाधि धारित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए :- किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में स्नातकोत्तर उपाधि के समय या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद संबंधित विषय में रेजीडेंट/रजिस्ट्रार/डिमोन्स्ट्रेटर/ट्यूटर के रूप में 3 वर्ष का शैक्षिक अनुभव। (ii) डी.एन.बी. ब्राड स्पेशलिटी के साथ एम0डी0/एम0एस0 तथा डी0एन0बी0 (सुपर स्पेशलिटी) के साथ डी0एम0/एम0सी0एच0 की समकक्षता के संबंध में :- **(क)** जिन अभ्यर्थियों ने डी0एन0बी0 प्रशिक्षण किसी संस्थान से प्राप्त किया है तथा वहां एम0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चल रहे हैं, उनकी डी0एन0बी0 अर्हता एम0सी0आई0 की मान्यता के समान माना जायेगा। **(ख)** जिन अभ्यर्थियों ने डी0एन0बी0 प्रशिक्षण कम से कम 500 बिस्तरों वाले मल्टी स्पेशलिटी शैक्षिक अस्पताल से किया हो तथा वह संस्थान विभिन्न स्नातकोत्तर/सुपर स्पेशलिटी शिक्षण कार्यक्रमों में शामिल हो, जिसमें 03 में कम से कम एक डी0एन0बी0 पर्यवेक्षक (अध्यापक) अर्ह होंगे जो एम0सी0आई0 मानकों के अनुसार स्नातकोत्तर अर्हता धारित किये हों तथा शेष बचे हुये 02 में से एक को स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में एम0सी0आई0 के अनुसार निम्नवत् अर्हता धारित करनी चाहिए:-

स्नातकोत्तर ब्राड स्पेशलिटी को {30 बेड प्रति यूनिट} 50% बेड स्नातकोत्तर सुपर स्पेशलिटी को {20 बेड प्रति यूनिट} अध्यापन हेतु उक्त योग्यतायें एम0सी0आई0 मान्यता प्राप्त अर्हता के समकक्ष होंगी। (iii) डी0एम0/एम0सी0एच0 के साथ एम0डी0/एम0एस0 और डी0एन0बी0 (सुपर स्पेशलिटी) के साथ डी0एन0बी0 (ब्राड स्पेशलिटी) की योग्यता के लिए एक वर्ष का अतिरिक्त प्रशिक्षण। जिन अभ्यर्थियों ने उपर्युक्त (ii) में उल्लिखित अन्य अस्पताल/संस्थान में डी0एन0बी0 प्रशिक्षण (दोनों ब्राड स्पेशलिटी/सुपर स्पेशलिटी) प्राप्त किये हैं वे एक वर्ष अतिरिक्त सीनियर रेजीडेंट या समकक्ष प्रशिक्षण या शोध कार्य से एम0सी0आई0 मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्थान से अर्हता धारित किया हो बशर्ते कि ऐसी अर्हता स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा अधिनियम 2000 में अधिसूचित की गयी हो। परामर्शदाता या विशेषज्ञ (विषय में स्नातकोत्तर डिग्री रखने के बाद) न्यूनतम 300 बिस्तरों वाले ई0एस0आई0 अस्पतालों में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करने के लिए अपेक्षित अनुभव न्यूनतम 06 वर्ष होगा। उन्हें मेडिकल कॉलेज में शामिल होने के बाद इस तरह के सलाहकार या विशेषज्ञ को सहायक आचार्य के रूप में माना जायेगा। **नोट नं.-4:** विभिन्न ब्राड/सुपर स्पेशलिटी संबंधी विशिष्टताओं में विहित अनिवार्य

अर्हतायें शासन के पत्र संख्या- 2842/71-1-2017-जी0-227/2010, दिनांक 12.09.2017 में संलग्न एम0सी0आई0 रेग्युलेशन 08 जून, 2017 के अनुसार उल्लिखित की गयी हैं। अन्य सामान्य नोट:- (1) क्र.सं.- 26, 27, 28, 29, एवं 30 पर उल्लिखित प्रवक्ता-एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायलोजी, फार्माकोलाजी तथा फिजियोलॉजी पद हेतु नान मेडिकल के पदों के लिए सम्बन्धित विषय में मेडिकल एम.एस.सी. अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। (2) क्वैलिज आरक्षण नियमानुसार अनुमन्य होगा। विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के पद उपलब्ध होने पर **O.L. (One Leg Affected Right or Left)** एवं **P.B. (Partially Blind)** श्रेणी के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। (3) अनिवार्य अर्हता की मान्यता एम.सी.आई. होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा। (4) सीनियर रेजीडेंट पद का अनुभव अभ्यर्थी द्वारा 40 वर्ष की आयु तक पूर्ण करना अनिवार्य है।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (होम्योपैथी) विभाग

(i) प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के लिए **प्रोफेसर आर्गेनान ऑफ मेडिसिन का 03 (तीन) अग्रेनीत पद, (विभाग संख्या: सेवा- 11/12) (विशेष चयन)।, पद का स्वरूप:** राजपत्रित एवं अस्थाई परन्तु भविष्य में चलते रहने की संभावना है, **आरक्षण-** 01 पद 30प्र0 के अनुसूचित जाति तथा 01 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, **वेतनमान-** पे. बैंड-3, रु. 15600-39100/- ग्रेड पे. रु. 7600/-, **अर्हताएं- अनिवार्य- (क)** होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री या होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई अर्हता।**(ख)** किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में उपाचार्य या सह आचार्य के रूप में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष के अध्यापन अनुभव को सम्मिलित करते हुए दस वर्ष का अध्यापन अनुभव। **अधिमानी अर्हताएं- (क)** होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई अर्हता, दोनों रखता हो। **(ख)** होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् या भारतीय आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद् या होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद् या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या यूनिट में उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक अनुभव या शोध अनुभव। **आयु:-** न्यूनतम 30 वर्ष, अधिकतम 50 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार) इसके अतिरिक्त राज्यपाल आयोग के परामर्श से किसी असाधारण योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी के मामले में विहित आयु-सीमा को शिथिल कर सकते हैं। **अन्य शर्तें एवं अर्हता-** उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध (अधिनियम- 1981 की धारा- 6 (3) के अनुसार किसी होम्योपैथिक महाविद्यालय) प्रान्तीयकृत-9 विद्यालयों से भिन्न) सेवारत कोई अध्यापक इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करता है, तो ऐसे अध्यापकों को अन्य अध्यापकों की तुलना में अधिमान का हकदार होगा। **नोट:-** (1) 30प्र0 सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। (2) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। (3) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। **(ii)** प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के लिए **रीडर रिपर्टरी के 03 (तीन) अग्रेनीत पद, (विभाग संख्या: सेवा- 11/13) (विशेष चयन), पद का स्वरूप:** राजपत्रित एवं अस्थाई परन्तु भविष्य में चलते रहने की संभावना है, **आरक्षण-** 01 पद 30प्र0 के अनुसूचित जाति एवं 01 पद 30प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, **वेतनमान-** रु. 15600-39100/- ग्रेड-वेतन- रु. 6600/-, **अर्हताएं- अनिवार्य- (क)** होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री या होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई अर्हता। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्राध्यापक के रूप में सम्बन्धित विषय में चार वर्ष के अध्यापन अनुभव को सम्मिलित करते हुए सात वर्ष का अध्यापन अनुभव। **अधिमानी अर्हताएं- (क)** होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम- 1973 की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई अर्हता, दोनों रखता हो। **(ख)** होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् या भारतीय आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद् या होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद् या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था में किसी उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक अनुभव या शोध अनुभव, **आयु:-** न्यूनतम 28 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार) इसके अतिरिक्त राज्यपाल आयोग के परामर्श से किसी असाधारण योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी के मामले में विहित आयु-सीमा को शिथिल कर सकते हैं। **अन्य शर्तें एवं अर्हता-** उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध (अधिनियम- 1981 की धारा- 6 (3) के अनुसार किसी होम्योपैथिक महाविद्यालय (प्रान्तीयकृत 09 विद्यालयों से भिन्न) सेवारत कोई अध्यापक उस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करता है, तो ऐसे अध्यापकों को अन्य अध्यापकों की तुलना में अधिमान्य का हकदार होगा। **नोट:-** (1) 30प्र0 सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। (2) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स के प्राप्तांकों तथा पूर्णांकों का उल्लेख आनलॉइन आवेदन में करें तथा सभी अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। (3) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। **(iii)** प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के लिए **रीडर**

होम्योपैथी फार्मसी के 02 (दो) अग्रेनीत पद, (विभाग संख्या: सेवा- 11/ 14) (विशेष चयन), पद का स्वरूप: राजपत्रित एवं अस्थाई परन्तु भविष्य में चलते रहने की संभावना है।, आरक्षण- 01 पद 30प्र0 के अनुसूचित जाति एवं 01 पद 30प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, वेतनमान- रु. 15600-39100/- ग्रेड वेतन- रु. 6600/-, अर्हताएं- अनिवार्य- (क) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री या होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1973 की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई अर्हता। (ख) किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्राध्यापक के रूप में सम्बन्धित विषय में चार वर्ष के अध्यापन अनुभव को सम्मिलित करते हुए सात वर्ष का अध्यापन अनुभव। अधिमानी अर्हताएं- (क) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम- 1973 की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई अर्हता, दोनों रखता हो। (ख) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् या भारतीय आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद् या होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद् या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था में किसी उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक अनुभव या शोध अनुभव, आयु:- न्यूनतम 28 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार) इसके अतिरिक्त राज्यपाल आयोग के परामर्श से किसी असाधारण योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी के मामले में विहित आयु-सीमा को शिथिल कर सकते हैं। अन्य शर्तें एवं अर्हता- उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध (अधिनियम- 1981 की धारा- 6 (3) के अनुसार किसी होम्योपैथिक महाविद्यालय (प्रान्तीयकृत 09 विद्यालयों से भिन्न) सेवारत कोई अध्यापक उस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करता है, तो ऐसे अध्यापकों को अन्य अध्यापकों की तुलना में अधिमान्य का हकदार होगा। नोट:- (1) 30प्र0 सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। (2) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स के प्राप्तांकों तथा पूर्णांकों का उल्लेख आनलॉइन आवेदन में करें तथा सभी अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। (3) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा के निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। (iv) उत्तर प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के लिए प्रवक्ता एनाटामी के 01 (एक) अग्रेनीत पद, (विभाग संख्या: सेवा- 11/ 16) (विशेष चयन), पद का स्वरूप: राजपत्रित एवं अस्थाई किन्तु भविष्य में चलते रहने की संभावना है, आरक्षण- 01 पद 30प्र0 के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, वेतनमान- वेतन बैंड- 3, वेतनमान: रु. 15600-39100/-, ग्रेड वेतन- रु. 5400/-, अर्हताएं- अनिवार्य- (क) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री-अधिमानता, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1973 की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई अर्हता। (ख) किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक या एलोपैथिक मेडिकल कालेज में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव। अधिमानी अर्हताएं- सम्बन्धित विषय में एम0डी0 या एम0एस0 या एलोपैथी का स्नातकोत्तर डिप्लोमा या डिग्री और/ या होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1973 की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई अर्हता, आयु:- न्यूनतम 25 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार) इसके अतिरिक्त राज्यपाल आयोग के परामर्श से किसी असाधारण योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी के मामले में विहित आयु-सीमा को शिथिल कर सकते हैं। अन्य शर्तें एवं अर्हता- उत्तर प्रदेश होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध (अधिनियम- 1981 की धारा- 6 (3) के अनुसार किसी होम्योपैथी महाविद्यालय (प्रान्तीयकृत- 09 विद्यालयों से भिन्न) सेवारत कोई अध्यापक उस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करता है, तो ऐसे अध्यापकों को अन्य अध्यापकों की तुलना में अधिमान के हकदार होंगे, बशर्तें वह इस पद के लिए विहित अर्हता पूरी करते हों। नोट:- (1) 30प्र0 सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। (2) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। (3) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा।																																																																																																																																														
का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। (3) अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता संख्या-3 हिन्दी अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी के कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करके प्रेषित करेंगे। (4) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य यूनानी चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा।																																																																																																																																														
प्राविधिक शिक्षा विभाग, 30प्र0 प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक/बालिका पालीटेक्निक संस्थाओं हेतु (सामान्य चयन) (अ) प्रधानाचार्य <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>वि. सं.</th><th>पद का नाम</th><th>अनु. जा-ति</th><th>अनु. जन जा-ति</th><th>अ. पि. व.</th><th>सामान्य (अना-रक्षि-त)</th><th colspan="3">क्षैतिज आरक्षण</th><th>योग</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>उ.प्र. की महि-ला</th><th>उ.प्र. के डी. एफ. एफ.</th><th>उ.प्र. के समाज के विक-लांग ओ.ए., ओ.एल., पी.बी.</th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>1</td><td>एस-12/1</td><td>प्रधानाचार्य</td><td>02</td><td>-</td><td>03</td><td>08</td><td>02</td><td>-</td><td>-</td><td>13</td></tr></table> पद का स्वरूप: राजपत्रित/अस्थायी, वेतनमान- रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे- रु. 7600/-, अर्हताएं- अनिवार्य- (1) अभियंत्रण या प्राविधिकी में प्रथम श्रेणी की उपाधि और विभागाध्यक्ष या प्राध्यापक के पद पर शिक्षण देने का या किसी सरकारी संस्थान, सार्वजनिक उपक्रम या लिमिटेड कम्पनी में ज्येष्ठ प्रबन्धकीय पद पर 10 वर्ष का अनुभव। एम0ई0/एम0टेक0 उपाधि धारियों के लिये अनुभव में तीन वर्ष की छूट दी जायेगी। (2) हिन्दी का ज्ञान। टिप्पणी:- सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों या लिमिटेड संगठनों का ही अनुभव स्वीकार किया जायेगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हतायें प्राप्त कर ली हो। अधिमानी:- अभियंत्रण या प्राविधिकी में शोध कार्य। आयु:- 35 से 50 वर्ष (आयु में छूट नियमानुसार) आयु सीमा ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में आयोग के परामर्श से शिथिल की जा सकती है, जो अन्यथा अच्छी अर्हता प्राप्त हो।											क्र. सं.	वि. सं.	पद का नाम	अनु. जा-ति	अनु. जन जा-ति	अ. पि. व.	सामान्य (अना-रक्षि-त)	क्षैतिज आरक्षण			योग								उ.प्र. की महि-ला	उ.प्र. के डी. एफ. एफ.	उ.प्र. के समाज के विक-लांग ओ.ए., ओ.एल., पी.बी.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	एस-12/1	प्रधानाचार्य	02	-	03	08	02	-	-	13																																																																																								
क्र. सं.	वि. सं.	पद का नाम	अनु. जा-ति	अनु. जन जा-ति	अ. पि. व.	सामान्य (अना-रक्षि-त)	क्षैतिज आरक्षण			योग																																																																																																																																				
							उ.प्र. की महि-ला	उ.प्र. के डी. एफ. एफ.	उ.प्र. के समाज के विक-लांग ओ.ए., ओ.एल., पी.बी.																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																																																																																				
1	एस-12/1	प्रधानाचार्य	02	-	03	08	02	-	-	13																																																																																																																																				
डिप्लोमा सेक्टर के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं हेतु (ब) : अभियंत्रण शाखा : पद- प्रवक्ता <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>वि. सं.</th><th>पद का नाम</th><th>अनु. जा-ति</th><th>अनु. जन जा-ति</th><th>अ. पि. व.</th><th>सामान्य (अना-रक्षि-त)</th><th colspan="3">क्षैतिज आरक्षण</th><th>योग</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>उ.प्र. की महि-ला</th><th>उ.प्र. के डी. एफ. एफ.</th><th>उ.प्र. के समाज के विक-लांग ओ.ए., ओ.एल.</th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>1</td><td>एस-12/2</td><td>प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण</td><td>54</td><td>05</td><td>70</td><td>132</td><td>52</td><td>05</td><td>07 (ओ.ए., ओ.एल.)</td><td>261</td></tr><tr><td>2</td><td>एस-12/3</td><td>प्रवक्ता विद्युत अभियंत्रण</td><td>48</td><td>04</td><td>62</td><td>116</td><td>46</td><td>04</td><td>06 (ओ.ए., ओ.एल.)</td><td>230</td></tr><tr><td>3</td><td>एस-12/4</td><td>प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण</td><td>27</td><td>02</td><td>35</td><td>69</td><td>26</td><td>02</td><td>03 (ओ.ए., ओ.एल.)</td><td>133</td></tr><tr><td>4</td><td>एस-12/5</td><td>प्रवक्ता इलेक्ट्रॉ-निक्स अभियंत्रण</td><td>25</td><td>02</td><td>32</td><td>61</td><td>24</td><td>02</td><td>03 (ओ.ए., ओ.एल.)</td><td>120</td></tr><tr><td>5</td><td>एस-12/6</td><td>प्रवक्ता केमिकल अभियंत्रण</td><td>08</td><td>-</td><td>10</td><td>21</td><td>07</td><td>-</td><td>01 (ओ.ए., ओ.एल.)</td><td>39</td></tr><tr><td>6</td><td>एस-12/7</td><td>प्रवक्ता कम्प्यूटर</td><td>27</td><td>02</td><td>35</td><td>68</td><td>26</td><td>02</td><td>03 (ओ.ए., ओ.एल.)</td><td>132</td></tr><tr><td>7</td><td>एस-12/8</td><td>प्रवक्ता, पेन्ट टेक्नो-लाजी</td><td>02</td><td>-</td><td>02</td><td>07</td><td>02</td><td>-</td><td>-</td><td>11</td></tr><tr><td>8</td><td>एस-12/9</td><td>प्रवक्ता टेक्सटाइल टेक्नोलाजी</td><td>06</td><td>-</td><td>08</td><td>19</td><td>06</td><td>-</td><td>-</td><td>33</td></tr><tr><td>9</td><td>एस-12/10</td><td>प्रवक्ता टेक्सटाइल डिजाइन</td><td>01</td><td>-</td><td>01</td><td>03</td><td>01</td><td>-</td><td>-</td><td>05</td></tr></table>											क्र. सं.	वि. सं.	पद का नाम	अनु. जा-ति	अनु. जन जा-ति	अ. पि. व.	सामान्य (अना-रक्षि-त)	क्षैतिज आरक्षण			योग								उ.प्र. की महि-ला	उ.प्र. के डी. एफ. एफ.	उ.प्र. के समाज के विक-लांग ओ.ए., ओ.एल.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	एस-12/2	प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण	54	05	70	132	52	05	07 (ओ.ए., ओ.एल.)	261	2	एस-12/3	प्रवक्ता विद्युत अभियंत्रण	48	04	62	116	46	04	06 (ओ.ए., ओ.एल.)	230	3	एस-12/4	प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	27	02	35	69	26	02	03 (ओ.ए., ओ.एल.)	133	4	एस-12/5	प्रवक्ता इलेक्ट्रॉ-निक्स अभियंत्रण	25	02	32	61	24	02	03 (ओ.ए., ओ.एल.)	120	5	एस-12/6	प्रवक्ता केमिकल अभियंत्रण	08	-	10	21	07	-	01 (ओ.ए., ओ.एल.)	39	6	एस-12/7	प्रवक्ता कम्प्यूटर	27	02	35	68	26	02	03 (ओ.ए., ओ.एल.)	132	7	एस-12/8	प्रवक्ता, पेन्ट टेक्नो-लाजी	02	-	02	07	02	-	-	11	8	एस-12/9	प्रवक्ता टेक्सटाइल टेक्नोलाजी	06	-	08	19	06	-	-	33	9	एस-12/10	प्रवक्ता टेक्सटाइल डिजाइन	01	-	01	03	01	-	-	05
क्र. सं.	वि. सं.	पद का नाम	अनु. जा-ति	अनु. जन जा-ति	अ. पि. व.	सामान्य (अना-रक्षि-त)	क्षैतिज आरक्षण			योग																																																																																																																																				
							उ.प्र. की महि-ला	उ.प्र. के डी. एफ. एफ.	उ.प्र. के समाज के विक-लांग ओ.ए., ओ.एल.																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																																																																																				
1	एस-12/2	प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण	54	05	70	132	52	05	07 (ओ.ए., ओ.एल.)	261																																																																																																																																				
2	एस-12/3	प्रवक्ता विद्युत अभियंत्रण	48	04	62	116	46	04	06 (ओ.ए., ओ.एल.)	230																																																																																																																																				
3	एस-12/4	प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	27	02	35	69	26	02	03 (ओ.ए., ओ.एल.)	133																																																																																																																																				
4	एस-12/5	प्रवक्ता इलेक्ट्रॉ-निक्स अभियंत्रण	25	02	32	61	24	02	03 (ओ.ए., ओ.एल.)	120																																																																																																																																				
5	एस-12/6	प्रवक्ता केमिकल अभियंत्रण	08	-	10	21	07	-	01 (ओ.ए., ओ.एल.)	39																																																																																																																																				
6	एस-12/7	प्रवक्ता कम्प्यूटर	27	02	35	68	26	02	03 (ओ.ए., ओ.एल.)	132																																																																																																																																				
7	एस-12/8	प्रवक्ता, पेन्ट टेक्नो-लाजी	02	-	02	07	02	-	-	11																																																																																																																																				
8	एस-12/9	प्रवक्ता टेक्सटाइल टेक्नोलाजी	06	-	08	19	06	-	-	33																																																																																																																																				
9	एस-12/10	प्रवक्ता टेक्सटाइल डिजाइन	01	-	01	03	01	-	-	05																																																																																																																																				
10	एस-12/11	प्रवक्ता टेक्सटाइल (डिजाइनिंग प्रिंटिंग)	01	-	01	03	01	-	-	05																																																																																																																																				
11	एस-12/12	प्रवक्ता कारपेट टेक्नोलाजी	03	-	05	11	03	-	-	19																																																																																																																																				
12	एस-12/13	प्रवक्ता लैदर टेक्नोलाजी	01	-	01	03	01	-	-	05																																																																																																																																				
13	एस-12/14	प्रवक्ता प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलाजी	-	-	-	02	-	-	-	02																																																																																																																																				
14	एस-12/15	प्रवक्ता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इंडस्ट्रीयल कंट्रोल विशि.)	-	-	-	01	-	-	-	01																																																																																																																																				
15	एस-12/16	प्रवक्ता, डेरी इंजीनियरिंग	01	-	01	04	01	-	-	06																																																																																																																																				
16	एस-12/17	प्रवक्ता आर्कीटे-क्चर	-	-	-	03	-	-	-	03																																																																																																																																				
17	एस-12/18	प्रवक्ता, आटो अभियंत्रण	-	-	-	03	-	-	-	03																																																																																																																																				
18	एस-12/19	प्रवक्ता टेक्सटाइल केमेस्ट्री	-	-	-	02	-	-	-	02																																																																																																																																				
19	एस-12/20	प्रवक्ता टेक्सटाइल इंजीनियरिंग	01	-	01	04	01	-	-	06																																																																																																																																				
20	एस-12/21	प्रवक्ता फार्मसी	04	-	05	11	04	-	-	20																																																																																																																																				
		कुल योग-								1036																																																																																																																																				
पद का स्वरूप: राजपत्रित/अस्थायी, वेतनमान:- रु. 15600-39100, ग्रेड पे रु. 5400/-, अर्हतायें- अनिवार्य अर्हता:- (1) अभियंत्रण/प्राविधिकी के संबंधित विषय में 55 प्रतिशत अंकों के साथ उपाधि या ए0एम0आई0ई0 (इण्डिया)। (2) हिन्दी का ज्ञान। टिप्पणी:- 1- जहां संबंधित विषय में मूल उपाधि नहीं दी जाती है या जहाँ ऐसी उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, वहां वैकल्पिक या विशेष विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ मूल स्नातक उपाधि पर विचार किया जायेगा। 2- सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों या लिमिटेड संगठनों का ही अनुभव स्वीकार किया जायेगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हतायें प्राप्त कर ली हो। अधिमानी अर्हता:- 1. सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. एक वर्ष का औद्योगिक अनुभव। टिप्पणी:- केवल सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों या लिमिटेड संगठनों का ही अनुभव स्वीकार किया जायेगा। आयु:- 21 से 40 वर्ष (आयु में छूट नियमानुसार) उच्चतर आयु सीमा ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में आयोग के परामर्श से शिथिल की जा सकती है , जो अन्यथा अच्छी अर्हता प्राप्त हो।																																																																																																																																														
(स) : अभियंत्रणोत्तर शाखा : पद- प्रवक्ता <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>वि. सं.</th><th>पद का नाम</th><th>अनु. जा-ति</th><th>अनु. जन जा-ति</th><th>अ. पि. व.</th><th>सामान्य (अना-रक्षि-त)</th><th colspan="3">क्षैतिज आरक्षण</th><th>योग</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>उ.प्र. की महि-ला</th><th>उ.प्र. के डी. एफ. एफ.</th><th>उ.प्र. के समाज के विक-लांग (पी.बी.)</th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>1</td><td>एस-12/22</td><td>प्रवक्ता, गणित</td><td>11</td><td>01</td><td>14</td><td>27</td><td>10</td><td>01</td><td>01</td><td>53</td></tr><tr><td>2</td><td>एस-12/23</td><td>प्रवक्ता, भौतिकी</td><td>11</td><td>01</td><td>14</td><td>27</td><td>10</td><td>01</td><td>01</td><td>53</td></tr><tr><td>3</td><td>एस-12/24</td><td>प्रवक्ता, रसायन</td><td>11</td><td>01</td><td>14</td><td>27</td><td>10</td><td>01</td><td>01</td><td>53</td></tr><tr><td>4</td><td>एस-12/25</td><td>प्रवक्ता, अंग्रेजी</td><td>11</td><td>01</td><td>14</td><td>27</td><td>10</td><td>01</td><td>01</td><td>53</td></tr><tr><td></td><td></td><td>योग-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>212</td></tr></table> पद का स्वरूप: राजपत्रित/अस्थायी, वेतनमान:- रु. 15600-39100, ग्रेड पे रु. 5400/-, अर्हतायें- अनिवार्य अर्हता:- (1) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) हिन्दी का ज्ञान। अधिमानी अर्हता:- बी0एड0 या समकक्ष अर्हता। आयु:- 21 से 40 वर्ष (आयु में छूट नियमानुसार) उच्चतर आयु सीमा ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में आयोग के परामर्श से शिथिल की जा सकती है, जो अन्यथा अच्छी अर्हता प्राप्त हो।											क्र. सं.	वि. सं.	पद का नाम	अनु. जा-ति	अनु. जन जा-ति	अ. पि. व.	सामान्य (अना-रक्षि-त)	क्षैतिज आरक्षण			योग								उ.प्र. की महि-ला	उ.प्र. के डी. एफ. एफ.	उ.प्र. के समाज के विक-लांग (पी.बी.)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	एस-12/22	प्रवक्ता, गणित	11	01	14	27	10	01	01	53	2	एस-12/23	प्रवक्ता, भौतिकी	11	01	14	27	10	01	01	53	3	एस-12/24	प्रवक्ता, रसायन	11	01	14	27	10	01	01	53	4	एस-12/25	प्रवक्ता, अंग्रेजी	11	01	14	27	10	01	01	53			योग-								212																																												
क्र. सं.	वि. सं.	पद का नाम	अनु. जा-ति	अनु. जन जा-ति	अ. पि. व.	सामान्य (अना-रक्षि-त)	क्षैतिज आरक्षण			योग																																																																																																																																				
							उ.प्र. की महि-ला	उ.प्र. के डी. एफ. एफ.	उ.प्र. के समाज के विक-लांग (पी.बी.)																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																																																																																				
1	एस-12/22	प्रवक्ता, गणित	11	01	14	27	10	01	01	53																																																																																																																																				
2	एस-12/23	प्रवक्ता, भौतिकी	11	01	14	27	10	01	01	53																																																																																																																																				
3	एस-12/24	प्रवक्ता, रसायन	11	01	14	27	10	01	01	53																																																																																																																																				
4	एस-12/25	प्रवक्ता, अंग्रेजी	11	01	14	27	10	01	01	53																																																																																																																																				
		योग-								212																																																																																																																																				

up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the weblink will be disabled. Appendix-1 The Procedure relating to upload Photo & Signature. Guide Lines for Scanning Photograph with Signature 1. Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signature Space provided. Ensure that the signature is within the box. 2. Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page. 3. The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in * .jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png format on local machine. 4. Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB. 5. If the size of the file is more than 50 KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, no. colours etc., during the process of scanning. 6. The applicant has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identity, it must be genuine, and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted. 7. The signature must be signed only by the applicant and not by any other person. 8. The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified. Sample Image & Signature :- width= 3.5 cm Photo Height= 4.5 cm Signature 1.5 cm परिशिष्ट 30प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप- I I) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री..... निवासी ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश राज्य की..... जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/ संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला.....में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर..... दिनांक पूरा नाम..... मुहर पद नाम..... जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप- I) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... सुपुत्र/सुपुत्री निवासी <td> तहसील..... नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश राज्य की..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति 30प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि 30प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो 30प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती कुमारी..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील..... नगर..... जिला..... में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम मुहर पद नाम जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार। NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL ANNEXURE Certificate No. Date DISABILITY CERTIFICATE Recent photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board This is to certified that Shri/Smt/Kum..... son/ wife/ daughter of Shri age Sex identification mark (c) is suffering from permanent disability of following category. A. Locomotor or cerebral palsy: (i) BL-Both legs affected but not arms. (ii) BA-Both arms affected (a) Impaired reach (b) Weakness or grip (iii) BLA-Both legs and both arms affected (iv) OL-One leg affected (right or left) (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Ataxic (v) OA-One arm affected (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Ataxic (vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stood) (vii) MW- Muscular weakness and limited physical endurance B. Blindness or Low Vision: (i) B-Blind (ii) PB-Partialy Blind C. Hearing impairment: (i) D-Deaf (ii) PD-Partially Deaf (Delete the category whichever is not applicable) 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessment of this case is not recommended/is recommended after a period of years months.* </td> <td> 3. Percentage of disability in his/her case is percent. 4. Sh./Smt/Kum meets the following physical requirements for discharge of his/her duties: <table><tr><td>(i) F-can perform work by manipulating with fingers</td><td>Yes/No</td></tr><tr><td>(ii) PP-can perform work by pulling & pushing</td><td>Yes/No</td></tr><tr><td>(iii) L-can perform work by lifting</td><td>Yes/No</td></tr><tr><td>(iv) KC-can perform work by kneeling and crouching</td><td>Yes/No</td></tr><tr><td>(v) B-can perform work by bending</td><td>Yes/No</td></tr><tr><td>(vi) S-can perform work by sitting</td><td>Yes/No</td></tr><tr><td>(vii) ST-can perform work by standing</td><td>Yes/No</td></tr><tr><td>(viii) W-can perform work by walking</td><td>Yes/No</td></tr><tr><td>(ix) SE-can perform work by seeing</td><td>Yes/No</td></tr><tr><td>(x) H-can perform work by hearing/speaking</td><td>Yes/No</td></tr><tr><td>(xi) RW-can perform work by reading and writing</td><td>Yes/No</td></tr></table><table><tr><td>(Dr.)</td><td>(Dr.)</td><td>(Dr.)</td></tr><tr><td>Member</td><td>Member</td><td>Chairperson</td></tr><tr><td>Medical Board</td><td>Medical Board</td><td>Medical Board</td></tr><tr><td></td><td>Countersigned by the Medical Superintendent/ CMO/Head of Hospital</td><td>(with seal)</td></tr></table> * Strike out which is not applicable उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र। प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती निवासी ग्राम- नगर- जिला- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं। स्थान: हस्ताक्षर..... दिनांक: पूरा नाम..... पदनाम..... मुहर..... जिलाधिकारी (सील) कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4 प्रारूप -1 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर..... दिनांक नाम..... पद संस्था का नाम..... मुहर नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। </td>	 तहसील..... नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश राज्य की..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति 30प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि 30प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो 30प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती कुमारी..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील..... नगर..... जिला..... में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम मुहर पद नाम जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार। NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL ANNEXURE Certificate No. Date DISABILITY CERTIFICATE Recent photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board This is to certified that Shri/Smt/Kum..... son/ wife/ daughter of Shri age Sex identification mark (c) is suffering from permanent disability of following category. A. Locomotor or cerebral palsy: (i) BL-Both legs affected but not arms. (ii) BA-Both arms affected (a) Impaired reach (b) Weakness or grip (iii) BLA-Both legs and both arms affected (iv) OL-One leg affected (right or left) (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Ataxic (v) OA-One arm affected (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Ataxic (vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stood) (vii) MW- Muscular weakness and limited physical endurance B. Blindness or Low Vision: (i) B-Blind (ii) PB-Partialy Blind C. Hearing impairment: (i) D-Deaf (ii) PD-Partially Deaf (Delete the category whichever is not applicable) 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessment of this case is not recommended/is recommended after a period of years months.*	3. Percentage of disability in his/her case is percent. 4. Sh./Smt/Kum meets the following physical requirements for discharge of his/her duties: <table><tr><td>(i) F-can perform work by manipulating with fingers</td><td>Yes/No</td></tr><tr><td>(ii) PP-can perform work by pulling & pushing</td><td>Yes/No</td></tr><tr><td>(iii) L-can perform work by lifting</td><td>Yes/No</td></tr><tr><td>(iv) KC-can perform work by kneeling and crouching</td><td>Yes/No</td></tr><tr><td>(v) B-can perform work by bending</td><td>Yes/No</td></tr><tr><td>(vi) S-can perform work by sitting</td><td>Yes/No</td></tr><tr><td>(vii) ST-can perform work by standing</td><td>Yes/No</td></tr><tr><td>(viii) W-can perform work by walking</td><td>Yes/No</td></tr><tr><td>(ix) SE-can perform work by seeing</td><td>Yes/No</td></tr><tr><td>(x) H-can perform work by hearing/speaking</td><td>Yes/No</td></tr><tr><td>(xi) RW-can perform work by reading and writing</td><td>Yes/No</td></tr></table> <table><tr><td>(Dr.)</td><td>(Dr.)</td><td>(Dr.)</td></tr><tr><td>Member</td><td>Member</td><td>Chairperson</td></tr><tr><td>Medical Board</td><td>Medical Board</td><td>Medical Board</td></tr><tr><td></td><td>Countersigned by the Medical Superintendent/ CMO/Head of Hospital</td><td>(with seal)</td></tr></table> * Strike out which is not applicable उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र। प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती निवासी ग्राम- नगर- जिला- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं। स्थान: हस्ताक्षर..... दिनांक: पूरा नाम..... पदनाम..... मुहर..... जिलाधिकारी (सील) कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4 प्रारूप -1 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर..... दिनांक नाम..... पद संस्था का नाम..... मुहर नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।	(i) F-can perform work by manipulating with fingers	Yes/No	(ii) PP-can perform work by pulling & pushing	Yes/No	(iii) L-can perform work by lifting	Yes/No	(iv) KC-can perform work by kneeling and crouching	Yes/No	(v) B-can perform work by bending	Yes/No	(vi) S-can perform work by sitting	Yes/No	(vii) ST-can perform work by standing	Yes/No	(viii) W-can perform work by walking	Yes/No	(ix) SE-can perform work by seeing	Yes/No	(x) H-can perform work by hearing/speaking	Yes/No	(xi) RW-can perform work by reading and writing	Yes/No	(Dr.)	(Dr.)	(Dr.)	Member	Member	Chairperson	Medical Board	Medical Board	Medical Board		Countersigned by the Medical Superintendent/ CMO/Head of Hospital	(with seal)
(i) F-can perform work by manipulating with fingers	Yes/No																																			
(ii) PP-can perform work by pulling & pushing	Yes/No																																			
(iii) L-can perform work by lifting	Yes/No																																			
(iv) KC-can perform work by kneeling and crouching	Yes/No																																			
(v) B-can perform work by bending	Yes/No																																			
(vi) S-can perform work by sitting	Yes/No																																			
(vii) ST-can perform work by standing	Yes/No																																			
(viii) W-can perform work by walking	Yes/No																																			
(ix) SE-can perform work by seeing	Yes/No																																			
(x) H-can perform work by hearing/speaking	Yes/No																																			
(xi) RW-can perform work by reading and writing	Yes/No																																			
(Dr.)	(Dr.)	(Dr.)																																		
Member	Member	Chairperson																																		
Medical Board	Medical Board	Medical Board																																		
	Countersigned by the Medical Superintendent/ CMO/Head of Hospital	(with seal)																																		

प्रारूप - 2 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीय में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर..... दिनांक नाम..... पद संस्था का नाम..... मुहर नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।	प्रारूप - 3 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर..... दिनांक नाम..... पद संस्था का नाम..... मुहर नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।	प्रारूप - 4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर..... दिनांक नाम..... पद संस्था का नाम..... मुहर नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/ शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा। सचिव
---	--	--